

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)


क्रमांक:- पं. 25(9)प्रसु/सम/अनु-1/2019

जयपुर, दिनांक:- 23-09-2020

परिपत्र


शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए DOIT&C के द्वारा विकसित Raj-Kaj software को सभी विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालय में लागू किए जाने हेतु प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा दिनांक 17.12.2019 को लिखा गया था, किंतु शासन के ध्यान में लाया गया है कि Raj-Kaj software का उपयोग सभी विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

अतः e-Governance को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में Raj-Kaj software का नियमित उपयोग किया जाना सुनिश्चित करावे जिससे फाइल ट्रेकिंग संबंधी कार्य भी भली भांति किया जा सके। जिन विभागों द्वारा Raj-Kaj software एक्टिव नहीं किया गया है वे DOIT&C से समन्वय स्थापित कर इसका नियमित उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।


(राजीव स्वर्ूप)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड़, नई दिल्ली।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
10. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
11. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर-प्रचार प्रसार हेतु।


(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव